जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/6172/2024 दिनांकः 14 मार्च, 2024

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–शासन के निर्देशानुसार जनपद के सभी डिग्री कालेजों में आपदाओं से बचाव हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक **जिलाधिकारी, बलिया के पत्र संख्याः 285/आपदा–प्रशिक्षण/2023–24, दिनांकः 14 मार्च, 2024 (संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सभी डिग्री कालेजों में छात्र–छात्राओं के मध्य आपदाओं से बचाव के सम्बन्ध में **जन–जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित है।**

तत्क्रम में सूच्य है कि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि **गंगा बहुउद्देशीय सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर, बलिया में दिनांकः 16 मार्च, 2024** को आयोजित **'जन–जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम'** में प्रतिभाग हेतु एक–एक शिक्षकों को नामित कर उक्त प्रशिक्षण कार्य में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित/प्रतिभाग करने वाले शिक्षक का विवरण अधोलिखित प्रारूप पर विश्वविद्यालय को भी दिनांकः 15 मार्च, 2024 तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित हैः–

क्र	महाविद्यालय का नाम	विकास–खण्ड का नाम	शिक्षक का नाम	मोबाईल नम्बर

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थः–

01. माननीय कुलपति जी।
02. डॉ0 राम सरन यादव, नोडल अधिकारी, आपदा प्रशिक्षण।
03. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
04. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
05. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

कार्यालय जिलाधिकारी बलिया

संख्याः 285 /आपदा–प्रशिक्षण/2023–24 दिनांकः 14 मार्च, 2024

आदेश

कृपया विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या–1179/एक–10–2023 राजस्व अनुभाग–10 दिनांक 24.08.2023 द्वारा जनपद के सभी स्कूलों/डिग्री कालेजों में छात्र–छात्राओं के मध्य आपदाओं से बचाव के सम्बन्ध में जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु जनपद के सभी स्कूलों/डिग्री कालेजों के एक–एक शिक्षकों को आपदाओं से बचाव हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गयें है।

उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी स्कूलों/डिग्री कालेजों में छात्र–छात्राओं के मध्य आपदाओं से बचाव के सम्बन्ध में जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु जनपद के सभी स्कूलों/डिग्री कालेजों के एक–एक शिक्षकों को आपदाओं से बचाव हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गंगा बहुउद्देशीय सभागार,कलेक्ट्रेट परिसर बलिया में निम्न तिथियों को आयोजित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

कमांक	प्रशिक्षण का दिनांक	प्रतिभागियों का विवरण
1	दिनांक–15.03.2024	1– विकास खण्ड– हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, गड़वार, सोहांव, बांसडीह, बेरूआरबारी, मनियर, रेवती, बैरिया, मुरलीछपरा एवं सीयर के समस्त प्राथमिक विद्यालयों से एक–एक शिक्षक।
2	दिनांक–16.03.2024	1– जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों से एक–एक शिक्षक 2– जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के अर्न्तगत सम्बद्ध सभी डिग्री कॉलेजों से एक–एक शिक्षक 3– विकास खण्ड– चिलकहर, रसड़ा, नगरा, नवानगर एवं पन्दह के समस्त के समस्त प्राथमिक विद्यालयों से एक–एक शिक्षक।

शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराये जाने हेतु निम्नानुसार सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है।

1–जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों से एक–एक शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायेगें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारम्भ के समय उपस्थित रहेगें। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहेगें।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों से एक–एक शिक्षक **(कुल1624)** की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायेगें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारम्भ के समय उपस्थित रहेगें। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहेगें।

3–कुल सचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के अर्न्तगत सम्बद्ध सभी डिग्री कॉलेजों से एक–एक शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से कराने का कष्ट करें । जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा नामित नोडल अधिकारी प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहेगें।

4–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया उक्त प्रशिक्षण दिवसों के दिन प्राथमिक उपचार विधि, सी0पी0आर0 एवं सर्पदंश से बचाव की जानकारी हेतु प्रशिक्षित मेडिकल स्टाप को भेजना सुनिश्चित करेगें।

5–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बलिया उक्त प्रशिक्षण दिवसों के दिन अग्निकांड से बचाव की जानकारी हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन स्टाप को भेजना सुनिश्चित करेगें।

6–जिला सूचना अधिकारी, बलिया प्रत्येक दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है।

कमांक	समय	विषय
1	प्रातः–09:30 बजे से 10:00 बजे तक	सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण
2	10:00 बजे से 10:45 बजे तक	कार्यक्रम का शुभारम्भ
3	10:45 बजे से 12:00 बजे तक	विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु लघु फिल्म
4	12:00 बजे से 12:15 बजे तक	ब्रेक
5	12:15 बजे से 02:00 बजे तक	विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु प्रशिक्षण सत्र
6	02:00 बजे से 02:40 बजे तक	लंच ब्रेक
7	02:40 बजे से 03:20 बजे तक	अग्निशमन पर प्रशिक्षण एवं मांकड्रील
8	03:20 बजे से 04:30 बजे तक	प्रश्नोत्तर/फीड बैक एवं अन्य कायक्रम

Scanned with CamScanner

प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की जायेगी जिससे राज्य स्तर पर डाटाबेस तैयार करके उनके मोबाईल नम्बर पर मौसम सम्बन्धी या आपदा सम्बन्धी चेतावनी समय–समय पर प्रेषित किया जायेगा, जो आपदा से बचाव में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को आई0ई0सी0 मैटिरियल उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें आपदा से बचाव सम्बन्धी पोस्टर, राईटिंग पैड, पेन, जुटफोल्डर, आपदा मैनुअल पुस्तक, सी0डी0 आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

जनपद स्तर पर उक्तानुसार प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उपरोक्तानुसार आई0ई0सी0 मैटिरियल को स्कूलों/डिग्री कालेजों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जायेगा तथा मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित इन प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा आपदा से बचाव सम्बन्धी प्रशिक्षण स्कूलों/डिग्री कालेजों में छात्र– छात्राओं को दिया जायेगा।

अतएव सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्वक तथा समयबद्ध रूप से कराने हेतु प्रतिभागियों की शत्प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
o/c बलिया

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– पुलिस अधीक्षक, बलिया को सूचनार्थ
3– मुख्य विकास अधिकारी बलिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– नगर मजिस्ट्रेट बलिया उक्त तिथियों पर गंगा बहुउद्देशीय सभागार आरक्षित कराने का कष्ट करें।
6– कुल सचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया, जनपद बलिया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10– जिला सूचना अधिकारी, बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11–जनपद के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय एवं जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के अर्न्तगत सम्बद्ध सभी डिग्री कॉलेजों से नामित शिक्षकों को इस आशय से प्रेषित की प्रशिक्षण में ससमय प्रतिभाग कराना सुनिचित करें।

(देवेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि/रा)
o/c बलिया

Scanned with CamScanner